

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

**अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर**  
**जिला हनुमानगढ़**


भादर

बनाम

स्टेट

किस्म मुकदमा : 136 LRA

प्रकरण संख्या 213 / 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
11.06.2026	<p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी का नाम रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 156/152 में क्रम संख्या 06 पर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भादर पुत्र धुड़ा दर्ज है। जो की सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम भादर पुत्र धुड़े खां है जो की प्रार्थी के दस्तावेजों यथा जमाबंदी रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 58/47 में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम भादर पुत्र धुड़ा के स्थान पर भादर पुत्र धुड़े खां दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।</p> <p>तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भादर पुत्र धुड़ा के स्थान पर भादर पुत्र धुड़े खां किया जाना उचित है की अनुशंसा की है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भादर पुत्र धुड़ा दर्ज है एवं प्रार्थी के समस्त दस्तोवजों यथा जमाबंदी रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 58/47 में प्रार्थी का नाम भादर पुत्र धुड़े खां दर्ज है एवं तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अनुशंसा की गई है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार, भू0अभि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 156/152 में क्रम संख्या 06 पर दर्ज भादर पुत्र धुड़ा के स्थान पर भादर पुत्र धुड़े खां का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफतर हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)</p>	